न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या : 101/2022 **GCMS 2021/418**

वादी

1. दूदाराम पुत्र लुणाराम उम्र 63 वर्ष
2. मोहनीदेवी पत्नी स्व. देवाराम उम्र 76 वर्ष
3. धाराराम पुत्र स्व. देवाराम उम्र उम्र 36 वर्ष
4. चेनाराम पुत्र स्व. देवाराम उम्र 33 वर्ष जाति मेघवाल निवासीगण परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी तहसील जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बाबूलाल पुत्र भींवाराम जाति रेगर निवासी परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी
2. दीपाराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी
3. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

दावा– अधिकारो की घोषणा व बंटवारा, होल्डिंग अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.Act 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री मेवाराम चौधरी अधिवक्ता प्रति. 1 की ओर से।
श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता प्रति. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 13.8.2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 508 रकबा 4.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 510 रकबा 1.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 651/502 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 6.52 हैक्टर अवस्थित है, वादीगण का सजरा खानदान निम्नवत है :–

लूणाराम (फौत)

देवाराम (पुत्र–फौत) — दूदाराम (पुत्र) — गोरली (पत्नी–फौत)

मोहनी देवी (पत्नी) — धाराराम (पुत्र) — चेनाराम (पुत्र)

वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी में संयुक्त रूप से गोरली पत्नी लूणाराम के नाम भी दर्ज हुई तथा गोरली का स्वर्गवास हो चुका है वादीगण गोरली के विधिक वारिसान है, इसलिए गोरली देवी को इस वाद में पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वादग्रस्त आराजियात में 2/3 हिस्सा लूणाराम पुत्र रामूराम अवस्थित था तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 दीपाराम पुत्र कानाराम का अवस्थित था, लूणाराम की मृत्यु के उपरान्त फौतगी नरामान्तरकरण उनके विधिक वारिसानर वादी सं. 1 व देवाराम तथा गोरली पत्नी लूणाराम के नाम से खुला, देवाराम पुत्र लूणाराम ने वादग्रस्त आराजियात में से अपनरा हिस्सा 2/9 प्रतिवादी सं. 1 को जरिये पंजिकृत बेचानर कर दिया परन्तु राजस्व अधिकारियों ने राजस्व रेकर्ड में गलती से बाबुलाल प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/3 का अंकन गलत रूप से कर दिया, वास्तव में प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 2/9 अंकित होना था जिसे वादी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है, वादग्रस्त आराजियात मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बंट सुविधा अनुसार किया हुआ है जिसका नजरी नक्शा परिशिष्ट " क " वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग माना जावे, क्योंकि जमीन उपजाऊ व कम उपजाऊ होने से वादीगण की कब्जा काश्त निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	खसरा नं.	रकबा	हक हिस्सा
1	दूदाराम वादी सं. 1	508	4.67 है.	2.3650 हैक्टर
2	मोहनी देवी, धाराराम, चेनाराम वादी सं. 2, 3, 4	508	4.67 है.	1.06 हैक्टर
3	बाबूलाल प्रति. सं. 1	508 651/502	4.67 है. 0.06 है.	1.2450 हैक्टर 0.06 हैक्टर
4	दीपाराम प्रति. सं. 2	510	1.79 है.	1.79 हैक्टर

वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की कब्जा काश्त अनुसार मौके पर सींव-मांठ कायम है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजियात में अपने मौके की कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नही है परन्तु राजस्व रेकर्ड में किये गये गलत इन्द्राज से प्रतिवादी सं. 1 को लालच आ गया है इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से बंटवारा करने पर सहमत नही है, वादीगण वादग्रस्त आराजियात में विधिवत खातेदार काश्तकार है, इसलिए बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाकर अपनी अलग होल्डिंग कायम करवाने के अधिकारी है, वादीगण को आराजियात शामलाती में रहने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि को सुधार कार्य करवाने में भी परेशानियां होती है इसलिए वादीगण ने प्रति. सं. 1 एवं 2 को कई बार बंटवारा करने का कहा, परन्तु उन्होने मना कर दिया इसलिए वाद लाना आवश्यक हुआ। वादीगण की इस्तदुआ है कि उपरोक्तानुसार टेबल में अंकित हक हिस्से तथा संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणर को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा जमाबंदी नकल सम्वत 2049–2052, 2073–2076, नक्शा ट्रेस की छाया प्रति, गोरली के मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की। प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 ने राजीनामा में कथन किया है कि मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाकर उनकी सेपरेट होल्डिंग कायम की जावे।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने बहस दौरान बताया है कि राजीनामा में अंकित टेबल अनुसार हक हिस्से एवं नजरी नक्शे अनुसार वाद डिक्री किया जावें, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने मुताबिक राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर उनकी सेपरेट होल्डिंग कायम की जावें। प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजात राजीनामा इत्यादि का अवलोकन किया गया, जमाबंदी सम्वत 2049–2052 ग्राम परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 508 रकबा 4.67 हैक्टर खसरा नम्बर 510 रकबा 1.79 हैक्टर खसरा नम्र 651/508 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 6.52 हैक्टर में दीपाराम पुत्र कानाराम 1/3 हि. लूणाराम पुत्र रामूराम 2/3 हि. जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज है नोटः– नामा. सं. 67 के जरिये लूणाराम पुत्र रामूराम 2/3 की जगह गोरली बेवा लूणाराम देवाराम दूदाराम पि. लूणाराम 2/3 दर्ज किया गया, नोट :– नामा. सं. 69 के जरिये देवाराम पुत्र लूणाराम की जगह बाबूलाल पुत्र भींवाराम जाति रेगर का नाम दर्ज किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2073–2075 में गोरली पत्नी लूणाराम हिस्सा–1/6 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी, दूदाराम पुत्र लूणाराम हिस्सा–1/6 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार, दीपाराम पुत्र कानाराम हिस्सा–1/3 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार, बाबूलाल पुत्र भींवाराम हिस्सा–1/3 जाति रेगर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी, स्वीकृत नामा. 1180 दिनॉक 08.04.2021 रहनमुक्त, स्वीकृत नामा. 1188 दिनॉक 11.06.2021 रहनमुक्त दर्ज है। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र 03.07.2018 अनुसार गोरली पत्नी लूणाराम की मृत्यु हो चुकी है। देवाराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने जीवन काल में सम्वत 2049–2052 के दौरान बाबूलाल पुत्र भींवाराम को किया गया, उस समय कुल भूमि में से 2/3 हिस्सा में 2/9 हक हिस्सा देवारामा का रहा, 2/9 हक हिस्सा दूदाराम एवं 2/9 हक हिस्सा गोरली का रहा था, तत्पश्चात 03.07.2018 को गोरली की मृत्यु होने पर उसके हिस्से में 2/28 देवाराम का रहा तथा दूदाराम का 2/28 + 2/9 हक हिस्सा रहा। बाबूलाल के 2/9 हक हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था जबकि त्रुटिवश

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

1/3 हिस्सा दर्ज हो गया। गोरली देवी की मृत्यु होने पर उसके पुत्र दूदाराम एवं देवाराम के हक हिस्से में भूमि दर्ज होनी शेष है, वादी दूदाराम जीवित है तथा दूसरा पुत्र देवाराम की मृत्यु गोरली देवी से पहले हो चुकी है अतः देवाराम के स्थान पर मोहनीदेवी, धाराराम, चेनाराम के नाम भूमि दर्ज होनी है, इसलिए खातेदार गोरली बेवा लूणाराम को पक्षकार नही बनाया गया है। पक्षकार प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 ने उपरोक्त हक हिस्से अनुसार उपस्थित होकर राजीनामा में कथन स्वीकार कर निम्नवत टेबल में अंकित हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त होना स्वीकार किया गया है :—

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	हक हिस्सा	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
1	दूदाराम वादी सं. 1	508	4.67 है.	2.3650 हैक्टर	लाल रंग
2	मोहनी देवी, धाराराम, चेनाराम वादी सं. 2, 3, 4	508	4.67 है.	1.06 हैक्टर	पीला रंग
3	बाबूलाल प्रति. सं. 1	508 651/502	4.67 है. 0.06 है.	1.2450 हैक्टर 0.06 हैक्टर	हरा रंग
4	दीपाराम प्रति. सं. 2	510	1.79 है.	1.79 हैक्टर	गुलाबी रंग

प्रस्तुत राजीनामा के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार एवं उपरोक्त टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का अनुतोष स्वीकार योग्य है। अतः वाद निम्नानुसार मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद मुताबिक राजीनामा निम्नवत डिक्री कर घोषणा की जाती है :—

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	हक हिस्सा	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
1	दूदाराम वादी सं. 1	508	4.67 है.	2.3650 हैक्टर	लाल रंग
2	मोहनी देवी, धाराराम, चेनाराम वादी सं. 2, 3, 4	508	4.67 है.	1.06 हैक्टर	पीला रंग
3	बाबूलाल प्रति. सं. 1	508 651/502	4.67 है. 0.06 है.	1.2450 हैक्टर 0.06 हैक्टर	हरा रंग
4	दीपाराम प्रति. सं. 2	510	1.79 है.	1.79 हैक्टर	गुलाबी रंग

नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। गोरली पत्नी लूणाराम का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाता है तथा उसके स्थान पर उपरोक्तानुसार उसके उत्तराधिकारी वादी दूदाराम पुत्र लूणाराम एवं मोहनीदेवी धाराराम चेनाराम पि. स्व. देवाराम को उपरोक्त हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उपरोक्त टेबल अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, राजस्व रेकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे, बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 13/8/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 101/2022 GCMS 2021/418

वादी

1. दूदाराम पुत्र लुणाराम उम्र 63 वर्ष
2. मोहनीदेवी पत्नी स्व. देवाराम उम्र 76 वर्ष
3. धाराराम पुत्र स्व. देवाराम उम्र उम्र 36 वर्ष
4. चेनाराम पुत्र स्व. देवाराम उम्र 33 वर्ष जाति मेघवाल निवासीगण परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी तहसील जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बाबूलाल पुत्र भींवाराम जाति रेगर निवासी परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी
2. दीपाराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी
3. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

दावा– अधिकारो की घोषणा व बंटवारा, होल्डिंग अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू मेवाराम चौधरी एवं श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद मुताबिक राजीनामा निम्नवत डिक्री कर घोषणा की जाती है :–

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	हक हिस्सा	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
1	दूदाराम वादी सं. 1	508	4.67 है.	2.3650 हैक्टर	लाल रंग
2	मोहनी देवी, धाराराम, चेनाराम वादी सं. 2, 3, 4	508	4.67 है.	1.06 हैक्टर	पीला रंग
3	बाबूलाल प्रति. सं. 1	508 651/502	4.67 है. 0.06 है.	1.2450 हैक्टर 0.06 हैक्टर	हरा रंग
4	दीपाराम प्रति. सं. 2	510	1.79 है.	1.79 हैक्टर	गुलाबी रंग

नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। गोरली पत्नी लूणाराम का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाता है तथा उसके स्थान पर उपरोक्तानुसार उसके उत्तराधिकारी वादी दूदाराम पुत्र लूणाराम एवं मोहनीदेवी धाराराम चेनाराम पि. स्व. देवाराम को उपरोक्त हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उपरोक्त टेबल अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे, बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 08 सन् 2022 को जारी की गई।

दस्तखत........................
ओहदा उपखण्ड अधिकारी (मुहर)
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक/राजस्व/2022/257 दिनॉकः– 18.8.2022

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं.101/2021 **GCMS 2021/418** दूदाराम बनाम बाबूलाल वगैरह परेवड़ी में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय राजस्व प्रकरण वाद सं. 101/2021 **GCMS 2021/418** दूदाराम बनाम बाबूलाल वगैरह परेवड़ी में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है, राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)